पत्र सं0–बी.सी.डब्लू.सी.–123/2018 श्र0सं0– 901

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना।

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0

प्रधान सचिव–सह– अध्यक्ष (बोर्ड)।

सेवा में,

1. प्रधान सचिव/सचिव, मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/पशु एवं मत्स्य ससाधन विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
2. अभियंता प्रमुख –सह– सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
3. प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना/परिवहन विभाग, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कल्याण विभाग (समाज कल्याण सहित), बिहार, पटना/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना/खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।
4. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, गाँधी मैदान, पटना/बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0/बिहार राज्य जल पर्षद/पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, गाँधी मैदान, पटना।
5. आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना।
6. अध्यक्ष –सह– प्रबंध निदेशक, आवास बोर्ड, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग, पटना/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना।
7. अध्यक्ष बिहार राज्य विद्युत पर्षद, पटना/बिहार राज्य खेल प्राधिकरण/बिहार रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा), सोन भवन, पटना।
8. क्षेत्रीय विकास आयुक्त –सह– अध्यक्ष, सोन कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, पटना।
9. निदेशक –सह– सचिव, नागरिक विमानन विभाग, बिहार, पटना।
10. कारा महानिरीक्षक, गृह (कारा विभाग), पटना।
11. प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, सुल्तान पैलेस, पटना।
12. नगर आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना।
13. सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
14. सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांकः– 01-10-2018

विषयः– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत उपकर (CESS) राशि जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कहना है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा–3 के अन्तर्गत सभी प्रकार के निर्माण कार्यो के विरूद्ध उपकर (CESS) जमा करने का प्रावधान है।

इस संबंध में निर्माणकर्त्ताओं/एजेन्सियों के द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में उपकर (CESS) राशि जमा करने में सुगमता लाने के दृष्टिकोण से भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता भी संधारित है, जो निम्न है :–

Name of Bank	-	State Bank of India
Branch Address	-	Niyojan Bhawan, Baily Road, Patna, Bihar
IFSC Code	-	SBIN0018815
Beneficiary Name	-	DEP. OF CESS UN. BUIL. & OT CONT. WOR. WEL. ESS ACT 1996 LABOUR RESOURCESS DEPARTMENT
Account No.	-	35059942218
Account Type	-	Current Account
Beneficiary Address	-	Secretary, Bihar Building & Other Construction Workers Welfare Board, Niyojan Bhawan, 4th floor, Block- C, Bailey Road, Patna.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बैंक खाता में अपने विभाग के अधीनस्थ सभी प्राधिकारों/एजेन्सियों/निगमों आदि को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्य के विरूद्ध नियमानुसार उपकर (CESS) राशि जमा करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।

इस संबंध में कृपया अपने अधीनस्थों को यह भी निदेशित किया जाए कि तत्संबंधित उपकर (CESS) राशि जमा करने के उपरान्त जमा किए गए उपकर (CESS) का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन भवन, चौथा तल्ला, ब्लॉक–सी, बेली रोड, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :– विहित प्रपत्र

विश्वासभाजन

(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव –सह– अध्यक्ष (बोर्ड)

ज्ञापांक– बी.सी.डब्लू.सी.–123/2018 श्र0सं0– 901 **पटना, दिनांक**– 01.10.2018

प्रतिलिपि–आई.टी.मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव –सह– अध्यक्ष (बोर्ड)

विहित प्रपत्र

1. स्थापना का नाम -
2. स्थापना का पता -
3. विभाग का नाम -
4. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत स्थापना का निबंधन संख्या -
5. कार्य का नाम -
6. कार्य प्रारम्भ की तिथि -
7. कार्य का अनुमानित अवधि/ कार्य समाप्ति की तिथि -

मुख्य नियोजक/ नियोक्ता का नाम एवं पता	संवेदक का नाम एवं पता	वास्तविक प्राक्कलन की राशि	वास्तविक भुगतान की राशि	कार्य का निष्पादन प्रतिशत में	भुगतान का अनुपातिक प्रतिशत	उपकर (Cess) भुगतान की राशि

8. यदि उपरोक्त निर्माण कार्य के विरुद्ध पूर्व में उपकर राशि जमा किया गया हो तो उसकी सूचना।

वास्तविक प्राक्कलन की राशि	भुगतान की गयी उपकर राशि	भुगतान की गयी उपकर राशि का प्रतिशत	भुगतान की तिथि	भुगतान का प्रकार (डी0डी0/RTGS)	बोर्ड कार्यालय को सूचित किए गये पत्रांक एवं दिनांक

मुख्य नियोजक/नियोक्ता का हस्ताक्षर (मुहर सहित)